

प्रेसनोट दिनांक 09.07.2021

1. दिनांक 09.07.21 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर सिंह थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.हाकिम सिंह पुत्र हरि सिंह नि० गली नं० 1 परमेश्वर गेट फिरोजाबाद साउथ फिरोजाबाद 2.राजकुमार पुत्र रवेन्द्र सिंह नि० दिनावली थाना अकराबाद अलीगढ 3.चितर सिंह पुत्र कुन्दन सिंह नि० सुहावली थाना अकराबाद अलीगढ 4.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र राम सिंह नि० अकराबाद थाना अकराबाद अलीगढ 5. सहदेव पुत्र नेम सिंह नि० दादो आदर्शनगर थाना दादो अलीगढ 6.विसरंजन कुमार पुत्र नेम सिंह नि० दादो थाना दादो अलीगढ अभि०गणो के कब्जे से 6.600 किग्रा० गांजा व चांदी के जेवरात व चाभी का गुच्छा बरामद होना **सभी गिर०** जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 434/21से 439/21 तक धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 09.07.21 को वादी श्री शिवगोविन्द पुत्र अभिनन्दन वर्मा नि० पोखई थाना रामसनेही घाट बाराबंकी द्वारा सूचना दिया गया कि फूलचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल कोरी 02 कन्हैयालाल पुत्र गोमती नि०गण मदरहिया थाना को०अयोध्या (**गिर०**) अभि० गण द्वारा पाइप की बात को लेकर वादी के गांव के दिलीप पुत्र राधेश्याम वर्मा को लाठी डण्डा से मारना पीटना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 346/21 धारा 323,304भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 09.07.21 को वादी श्री शिखर गुप्ता पुत्र जे०के गुप्ता नि० सेन्ट्रल बैंक के सामने थाना रा०ज०भू० द्वारा सूचना दिया गया कि विकास गुप्ता नि० गंगा प्रसाद की दुकान हनुमानगढी आदि 02 नफर पैसे के लेन देन को लेकर अभि०गण द्वारा वादी को मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना जिसके संबंध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 50/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 09.07.21 को वादी श्री अनिल गोड पुत्र रामअवतार गौड नि० तेलियागढ थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विपिन उर्फ पदारू पुत्र भरतलाल नि० तेलियागढ थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 04 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा वादी के पुत्र को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 192/21 धारा 323 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 09.07.21 को वादी उ०नि० श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामनाथ निषाद पुत्र सरजू प्रसाद निषाद नि० ढेपहवा थाना को०बीकापुर अयोध्या **गिर०** अभि० के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 320/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 09.07.21 को वादी श्री विजय सिंह पुत्र रामगुलाम सिंह नि० सिन्होरिया रानीपुर हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हिमान्शु वर्मा पुत्र हरिशंकर वर्मा नि० सिन्होरिया रानीपुर हैदरगंज अयोध्या आदि 02 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा वादी को मारना पीटना गाली व जानमाल की धमकी देना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं०155/21 धारा 323, 504 ,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 09.07.21 को वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र रामअरज नि० बेदापुर थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि खन्ने गुप्ता पुत्र अज्ञात नि० जयसिंहमउ थाना तारून अयोध्या अभि० द्वारा रास्ते में साइड न'े देने की बात को लेकर गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा मोबाइल तोड देना जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 168/21 धारा 323, 427, 504,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 09.07.21 को वादी उ०नि० श्री ब्रम्हदत्त पाण्डेय थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अखिलेश मौर्य पुत्र बजरंगी मौर्य नि० बरई पारा थाना को० रूदौली अयोध्या **गिर०** अभि० के कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 179/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।